

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली
पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

दीना मीना पुत्र श्री जयलाल मीना, ग्राम व पोस्ट-मोंगेपुरा, तहसील मण्डरायल जिला करौली
- अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, करौली - प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक-22.09.2020

1. अपीलार्थी को सुनवाई हेतु दिनांक 16.09.2020, 21.09.2020 व 22.09.2020 को बार-बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं।
2. प्रतिनिधि प्रत्यर्थी उपस्थित।
3. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत ग्राम पंचायत मोंगेपुरा पंचायत समिति मण्डरायल की आवेदन दिनांक तक नवीनतम खाद्य सुरक्षा सूची, दिनांक 01.02.2020 से अभी तक खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या, उनमें से किये गये निस्तारण, खाद्य सुरक्षा सूची में से हटाये गये लोगों की सूची, उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण आदि कुल 9 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है।
4. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
5. प्रत्यर्थी ने पत्रांक-रसद/आरटीआई/2020-21/2020-21 दिनांक 10.09.2020 की प्रति इस न्यायालय में प्रेषित की है। उक्त पत्र अनुसार अपीलार्थी को पूर्व में पत्र क्रमांक-रसद/आरटीआई/2020-21/1537 दिनांक 24.08.2020 द्वारा रजिस्टर्ड डाक से भिजवाई जा चुकी है। शेष रहे बिन्दु संख्या 9 की सूचना उक्त पत्र के माध्यम से अपीलार्थी को भिजवाई जा चुकी है जिस पर अपीलार्थी द्वारा कोई प्रतिकार पेश नहीं किया गया है।
6. इस प्रकार अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा सूचना प्रेषित कर दिये जाने एवं अपीलार्थी द्वारा उक्त सूचना पर अन्यथा कोई प्रतिकार पेश नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी उक्त सूचना से संतुष्ट है। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
7. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।
8. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
9. पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।
10. निर्णय आज दिनांक 22.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)

प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली